

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी :- शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
मुकदमा संख्या :- 59/2021

उनवान
दाउद अली वगै० बनाम अलादीन वगै०

1. दाऊद अली पुत्र मुकारबंखा जाति कायमखानी मुसलमान उम्र 56 वर्ष निवासी वार्ड नं. 36 मोहल्ला बंटवालान झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
2. अब्दुल गफार पुत्र मुकारबंखा जाति कायमखानी मुसलमान उम्र 58 वर्ष निवासी वार्ड नं. 22 गुढा फाटक के पास झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
3. इमरान खान पुत्र जीवणाखां जाति कायमखानी मुसलमान उम्र 36 वर्ष निवासी वार्ड नं. 36 मोहल्ला बंटवालान झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
4. बाबुखां पुत्र कासमखां जाति कायमखानी मुसलमान उम्र 66 वर्ष निवासी वार्ड नं. 17 प्रभात टाकीज के पास झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
5. मुश्ताकखां पुत्र कासमखां जाति कायमखानी मुसलमान उम्र 60 वर्ष निवासी वार्ड नं. 36 मोहल्ला बंटवालान झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
6. मो. फारुक पुत्र जीवणाखां जाति कायमखानी मुसलमान उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड नं. 36 मोहल्ला बंटवालान झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
7. हारूनखां पुत्र मुकारबंखा जाति कायमखानी मुसलमान उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड नं. 22 गुढा फाटक के पास झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।

—वादीगण

बनाम

1. अलादीन पुत्र हाजी इब्राहीम खोखर जाति मुसलमान उम्र 60 वर्ष निवासी वार्ड नं. 18 झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
2. इशाक अली पुत्र हाजी इब्राहीम खोखर जाति मुसलमान उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड नं. 17 प्रभात टाकीज के पास झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
3. निसार पुत्र सिराज खां जाति मुसलमान उम्र 30 वर्ष निवासी वार्ड नं. 22 रहमानी मस्जिद के पास झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
4. मुन्शी पुत्र सिराज खां जाति मुसलमान उम्र 54 वर्ष निवासी वार्ड नं. 22 गुढा फाटक के पास झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
5. मोईदीन पुत्र सिराज खां जाति मुसलमान उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड नं. 22 गुढा फाटक के पास झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
6. युनुस पुत्र सिराज खां जाति मुसलमान उम्र 47 वर्ष निवासी वार्ड नं. 22 गुढा फाटक के पास झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
7. सतार पुत्र सिराज खां जाति मुसलमान उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड नं. 22 गुढा फाटक के पास झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
8. संजीव कुमार पुत्र इन्द्राज सिंह जाति जाट निवासी ग्राम सोलाना तहसील व जिला झुन्झुनू।
9. युसुफ अली पुत्र मुकारबंखा जाति कायमखानी मुसलमान उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड नं. 22 गुढा फाटक के पास झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
10. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार झुन्झुनू जिला झुन्झुनू।

—प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता:-

1. श्री जितेन्द्र वैष्णव :- वादीगण की ओर से।
2. श्री सुरेन्द्र सिंह किशनावत :- वादीगण की ओर से।

दावा बाबत घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक :- 11.03.2022

निर्णय

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। न्यायालय के प्रार्थमिक निर्णय दिनांक 14.02.2022 के द्वारा वाद वादीगण प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, झुन्झुनू को 1000/- रुपये फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया गया था कि विवादित भूमि का मुताबिक वाद पत्र की मद संख्या 01 व 02 में वर्णित भूमि का जमाबंदी सम्बत 2074-2077 में वर्णित हक हिस्से अनुसार खातेदारों के अनुसार विधिवत रूप से पक्षकारों की मौजूदगी में विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव (माननीय राजस्व बोर्ड के परिपत्र के अनुसार) 7 दिवस में इस न्यायालय में पेश किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपने पत्रांक राजस्व/2022/245 दिनांक 08.03.2022 को विभाजन प्रस्ताव पेश किया है। विभाजन प्रस्ताव बाबत वकील पक्षकारान को सुना गया। वकील पक्षकारान ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद को अंतिम डिक्री किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की है। विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक निर्णय अनुसार है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः

डिक्री

वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 11.03.2022 को टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर:- 59/2021

उनवान

दाउद अली वगै० बनाम अलादीन वगै०

दावा बाबत:- दावा बाबत घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक:- 11.03.2022

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र वैष्णव एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह किशनावत उपस्थित। इस वाद में आज दिनांक को श्री शैलेश खैरवा, उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा सहित जारी की गई।



शैलेश खैरवा
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	46
स्टाम्प वकालतनामा	46	स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनतनामा वकील	
मेहनतनामा वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर	1000	बाबत इजराय हुक्मनाम	
बाबत इजराय हुक्मनाम		मुतफरिक	
याग	1048		46

शैलेश खैरवा
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू
(आर.ए.एस.)